13 12/23

बहुलाल उप०, वकील श्री० हाल रेफा० सं० 2 के एस की कार्यवाही दिनांक 11-9-78 से नहीं की गयी थी वकील श्री० के कारण स्थगन दिये गये लेकिन वकील श्री० हाल न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गयी। तथा अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का पालन नहीं की गयी। अपील की सुनवाई के पश्चात नहीं करते हुए खारिज की गयी है पश्चात्वर्ती के फल मुताबिक बोर्ड नकल के बाद ही मामले एक वर्ष वकील श्री दाखिल करने के आदेश सुनाया गया।